गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 को सायं 03:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 एस.पी. सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
05.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
06.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
07.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
08.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
09.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	सदस्य
10.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
11.	डॉ0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
12.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
13.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार पटेल	सदस्य
14.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
15.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	सदस्य
16.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
17.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
18.	श्री एस.के. मेहर,	उप-कुलसचिव (अकादमिक)

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा नव-नामांकित सदस्य श्री देवेन्द्र पटेल सहायक प्राध्यापक का परिचय देते हुए उनका भी स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 से राजनीतिशास्त्र विभाग के अन्तर्गत एम.ए. लोक प्रशासन पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य स्थगित किये जाने पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 से राजनीतिशास्त्र विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एम.ए. लोक प्रशासन के अध्यापन कार्य को स्थगित किये जाने संबंधी विभागीय बैठक दिनांक 20.11.2014 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

विषय क0-02. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 से वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर-वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की संख्या 120 निर्धारित किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि वाणिज्य विभाग में शिक्षकों का अभाव है, अधोसंरचना की भारी कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षक/छात्र अनुपात संबंधी नियमों के अनुसार विभाग में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता

अध्ययनशाला प्रबंध एवं वाणिज्य ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आगामी सत्रों में संसाधन उपलब्ध होने तक प्रवेशित छात्रों की संख्या 120 तक सीमित किये जाने की अनुशंसा किया है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 में वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की सीट संख्या 120 निर्धारित की जाय एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश प्रणाली (lateratentry) सत्र 2015-16 के लिए स्थगित की जाये।

विषय क0-03. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की सीट संख्या 100 के स्थान पर 50 निर्धारित किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि, एन.सी.टी.ई. के विनियम 2014 के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बी.एड. एवं एम.एड. के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष एवं प्रवेशित छात्रों की संख्या 100 के स्थान पर 50 निर्धारित किये जाने की संस्तुती शिक्षा विभाग द्वारा की गई है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विभागीय संस्तुती एवं एन.सी.टी.ई. के विनियम 2014 के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तथा प्रवेशित छात्रों की संख्या 100-100 के स्थान पर 50-50 निर्धारित की जाय।

विषय क0-04. **विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अन्य शिक्षण संस्थानों के सह-शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदान करने के संदर्भ में विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अन्य शिक्षण संस्थानों में सह-शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदान करने के संदर्भ में स्थायी समिति द्वारा दिशा निर्देश (मॉडिलिटिस) तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया था, समिति की बैठक दिनांक 30.09.2014 में दिशा-निर्देश (मॉडिलिटिस) तैयार किया गया है एवं उसके अनुसार प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-सिविल विभाग को आई.आई.टी. खड़गपुर में सिविल विभाग के अंतर्गत प्रो0 सुधीर कुमार बढ़ई के साथ बाह्य निर्देशक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति द्वारा गठित समिति की सह-निर्देशक के रूप में अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्य करने हेतु तैयार की गई दिशा निर्देश (मॉडिलिटिस) का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रो0 शैलेन्द्र कुमार आचार्य एवं विभागाध्यक्ष सिविल विभाग को सह-निर्देशक के रूप में कार्य करने हेतु दी गई अनुमति का अनुमोदन किया जाय।

विषय क0-05. **विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला के अधिष्ठाताओं तथा विभागाध्यक्षों की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, अध्ययनशाला के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 12.11.2014, 20.11.2014 तथा अध्ययनशाला के अधिष्ठाताओं, शैक्षणिक विभागों एवं प्रशासनिक विभागों के विभाग प्रमुखों की बैठक दिनांक 26.11.2014, 08.12.2014, 16.12.2014, 26.12.2014, 06.01.2015, 22.01.2015, 23.01.2015 एवं 29.01.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया जाय।

विषय क0-06. **शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित अकादमिक कैलेण्डर के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु प्रस्तावित संशोधित अकादमिक कैलेण्डर में किये गये संशोधन की पुष्टि करते हुये अनुमोदन किया जाय।

विषय क0-07. **विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और तकनीकि अध्ययनशाला हेतु "VRET Bulletin 2015-16" में संशोधन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रकरण में, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-अभियांत्रिकी एवं तकनीकी को उनके "VRET Bulletin 2015-16" में आवश्यक संशोधन करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि अध्ययनशाला-अभियांत्रिकी एवं तकनीकी के अन्तर्गत "VRET वर्ष 2016" की परीक्षा में साइंटिफिक कैलकुलेटर (Scientific Calculator) के उपयोग करने की अनुमति दी जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एम.ई./एम.टेक.सूचना प्रौद्योगिकी विषय लेकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग विषय में शोध कार्य में प्रवेश हेतु एलाईड विषय के रूप में मान्यता दी जाय।

विषय क0-08. **श्री हर्षवर्धन पाण्डेय द्वारा हिन्दी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित पीएच.डी./शोध प्रवेश परीक्षा की काउन्सिलिंग हेतु अलग-अलग मापदण्ड अपनाये जाने संबंधी प्रेषित अभ्यावेदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री हर्षवर्धन पाण्डेय एवं समान अन्य प्रकरणों पर प्राप्त अन्य आवेदकों के आवेदनों के संबंध में समग्र रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाय :-

01. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-विधि
02. प्रो0 व्ही.एस. राठौड, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-कला
03. डॉ0 गोपा बागची, सह-आचार्य

उक्त समिति अपना प्रतिवेदन 15 दिवसों में प्रस्तुत करेगी। साथ ही समिति की अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही एवं !अनुमोदन करने हेतु कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र0-09. **विदेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के संबंध में विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विदेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के लिए गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र0-10. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर को निम्न संशोधन समाहित करते हुए अनुमोदित किया जाय :-

Odd semester (With effect from 1st July' 2015

S.N.	Academic Plans	I Semester (Course A/B)	III,V & VII Semester
1.	Registration/Admission	06-08-2015 (Thursday) To 10-08-2015 (Monday) (Tentative)	01-07-2015 (Wednesday) To 07-07-2015 (Tuesday) As per notification of GOI for Ist Semester and for onwards Semester as per University rules

Even semester (With effect from 24th November' 2015

S.N.	Academic Plans	II Semester (Course A/B)	IV,VI & VIII Semester
1.	Winter Semester break for students	26-12-2015 (Saturday) To 03-01-2016 (Sunday)	

विषय क्र0- 11. **विश्वविद्यालय के संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण संबंधी विभागीय बैठक की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 से एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली अनुसार अध्यापन कार्य किया जाय एवं तद्नुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों से संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभागीय बैठक दिनांक 23.01.2015 में पारित प्रस्ताव अनुसार शुल्क क्रमशः प्रथम सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 11,755/- तथा द्वितीय सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 9,700/-, तृतीय सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 9,855/-, चतुर्थ सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 9,200/-, पंचम सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 8,405/- एवं षष्ठम सेमेस्टर हेतु कुल रूपये 7,650/- लिया जाय।

विषय क्र0- 12. **छात्र श्री दुर्गेश कुमार देवांगन, बी.ई. अष्टम सेमेस्टर कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनीयरिंग के अंकसूची में संशोधन विषयक।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री दुर्गेश कुमार देवांगन, बी.ई. अष्टम सेमेस्टर, कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग, की अंकसूची में संशोधन के संदर्भ में निदेशक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.10.2014 में की गई अनुशंसाओं अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्र0– 13. **प्रकरण क्रमांक WP(C) 5930/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक WP(C) 5930/2011 के संदर्भ में पारित निर्णय अनुसार छात्र श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ला के वर्ष 2008 की बी.एड. परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे लंबित परीक्षा परिणाम जो कि समान प्रकरण जैसे विभागीय अभ्यर्थियों से संबंधित है तथा समान कारण से लंबित है, उन्हें भी घोषित कर दिया जाये।

विषय क्र0– 14. **प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में प्रश्नपत्रों का निर्धारण एवं मॉडल आंसर की प्रक्रिया संबंधी।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का निर्धारण एवं मूल्यांकन आंतरिक स्तर पर ही किया जा रहा है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल उत्तरों का प्रदर्शन सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर किया जाता है। प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्धारण, मूल्यांकन तथा मॉडल उत्तर का प्रदर्शन किये जाने संबंधी वर्तमान में कोई नीति प्रचलित नहीं है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनायी गई नीति अनुसार प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्धारण व मूल्यांकन भी आंतरिक स्तर पर किया जाय। साथ ही मॉडल उत्तर का प्रदर्शन सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर किया जाय।

विषय क्र0– 15. **प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराये जाने बाबत्।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा के मॉडल उत्तर प्रदर्शित कर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन शोधार्थियों को कराया जाय। आंतरिक मूल्यांकन व मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन शोधार्थियों को कराये जाने के कारण प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क में पुनः मूल्यांकन की सुविधा समाप्त किया जाय।

विषय क्र0– 16. **माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (दिनांक 28 जुलाई 2011) के कार्यवृत्त पर कार्यवाही के संदर्भ में विचार।**

निर्णय लिया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2011 में मद संख्या 3ख(iv) एवं 3ख2(vi) के संदर्भ में की गई अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हेतु मॉडिलिटिस तैयार करने के लिए निम्न समिति का गठन किया जाय :–

01. प्रो0 एल.पी. पटैरिया, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–प्रबंध एवं वाणिज्य
02. प्रो0 व्ही.एस. राठौड, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–कला
03. डॉ0 प्रवेश दलई, सहायक प्राध्यापक–विधि विभाग

उक्त समिति अपना प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगी। साथ ही समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदन करने हेतु कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र0- 17. **विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में अपरेन्टीस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार।**

निर्णय लिया गया कि प्रकरण स्थगित रखा जाये।

विषय क्र0- 18. **किरोडीमल शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में आयोजित विभिन्न अंतिम कक्षाओं की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने वाले उपाधि प्रमाण पत्र के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि किरोड़ीमल शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय, रायगढ़ द्वारा वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में आयोजित विभिन्न अंतिम कक्षाओं की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित उपाधि प्रमाण प्रत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्रं0- 19. **शोधार्थी श्री आशुतोष कुमार मण्डावी (पत्रकारिता एवं जनसंचार) के पुनः शोध पंजीयन पर विचार।**

निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के सबंध में अध्यादेशों के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाय :-

01. प्रो0 एस.एस. सिंह, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्राकृतिक संसाधन
02. प्रो0 एल.पी. पटैरिया, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्रबंध एवं वाणिज्य
03. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-विधि

विषय क्र0- 20. **शोधार्थी मो0 शकील खान (पत्रकारिता एवं जनसंचार) के पुनः शोध पंजीयन पर विचार।**

निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के सबंध में अध्यादेशों के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाय :-

01. प्रो0 एस.एस. सिंह, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्राकृतिक संसाधन
02. प्रो0 एल.पी. पटैरिया, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-प्रबंध एवं वाणिज्य
03. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-विधि

विषय क्र0- 21. **बी.टेक (आई.टी) छात्र/छात्राओं के सांस्कृतिक/ तकनीकी गतिविधि शुल्क निर्धारण पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी.टेक (आई.टी) छात्र/छात्राओं से शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सांस्कृतिक/ तकनीकी गतिविधि शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष रूपये 500/- लिया जाय।

विषय क0- 22. **शोधार्थी श्री तरूण कुमार पटेल (जैव प्रौद्योगिकी) के शोध छात्रवृत्ति से त्याग पत्र स्वीकार करने एवं अवकाश दिवस/शासकीय अवकाश में शोध कार्य करने की अनुमति पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में प्रचलित/स्थापित नियमों के परिपेक्ष्य में आवश्यक निर्णय लेने के लिए संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को अधिकृत किया जाय।

विषय क0- 23. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विभिन्न शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों से उनके विभाग के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीट संख्या के निर्धारण एवं प्रवेश हेतु न्युनतम अर्हताओं संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने विभिन्न शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों से उनके विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु सीट संख्या के निर्धारण एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया।

01. विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विगत सत्र 2014-15 में विभिन्न शैक्षणिक विभागों के लिए निर्धारित सीट संख्या को सत्र 2015-16 में यथावत् प्रभावी रखा जाय। केवल निम्नांकित शैक्षणिक विभागों के लिए सत्र 2015-16 में निम्नानुसार सीट संख्या का निर्धारण किया जाय :-

1. गणित-एम.एससी. पाठ्यक्रम हेतु कुल सीट संख्या 120 के स्थान पर 60
2. राजनीति विज्ञान-एम.ए. पाठ्यक्रम हेतु कुल सीट संख्या 25 के स्थान पर 30
3. इतिहास-एम.ए. पाठ्यक्रम हेतु कुल सीट संख्या 25 के स्थान पर 30

02. विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा संचालित एम.ए./एम.एससी./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एम. ए./एस.एससी./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बी.ए./बी.एससी./स्नातक ऑनर्स अथवा 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत संबंधित विषय के साथ स्नातक उपाधि होना आवश्यक होगा। साथ ही प्रवेश हेतु अर्हतादायी न्यूनतम अंक पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।

विषय क0- 24. **विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 08.12.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार "सैण्डविच प्रोग्राम" क्रियान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।**

प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में विस्तृत प्रस्ताव स्थायी समिति की प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0- 25. **श्री अंकुर तिवारी छात्र डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एण्ड एप्लाईड गणित द्वारा R & D in IT Group, GOI से वार्तालाप अनुमति बाबत्।**

वस्तुतः उक्त छात्र शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त गणित विभाग का छात्र है।

अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में विभागाध्यक्ष-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त गणित एवं विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विस्तृत इस संबंध में तैयार कर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विषय क0– 26. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्युलेशन–2009 के अंतर्गत नेट से छूट प्रदान करने एवं दिनांक 11.07.2009 के पूर्व पंजीकृत पीएच.डी. शोध उपाधि धारकों को समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार।

निर्णय लिया गया कि इस संबंध में गठित समिति प्रकरण के समस्त पहलुओं पर पूर्ण विचारोपरान्त अपनी अनुशंसायें शीघ्रातिशीघ्र समग्र रूप में प्रस्तुत करें।

विषय क0– 27. विभागाध्यक्ष संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से श्री नारायण मूर्ती, सह–संस्थापक–इंफोसिस को विभाग के साथ सहयोजित (Associate) किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लाभप्रद व शैक्षणिक गुणवत्तायुक्त व्याख्यान देने के लिए श्री नारायण मूर्ति, सह–संस्थापक–इंफोसिस को विभाग के साथ सहयोजित किये जाने की अनुशंसा विभागीय बैठक में की गई है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि श्री श्री नारायण मूर्ति, सह–संस्थापक–इंफोसिस को संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोजित किया जाय।

विषय क0– 28. अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हेतु नीति निर्धारण करने के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला के शिक्षकों से अन्य संस्थानों में शोध कार्य हेतु प्राप्त हो रहे अध्ययन अवकाश के आवेदनों को मान्य किये जाने के संदर्भ में दिशा–निर्देश अथवा नीति निर्धारित किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अध्ययन अवकाश (Including leave under QIP) स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अध्ययन अवकाश (Including leave under QIP) स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुशंसा को मान्य किया जाय।

विषय क0– 29. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत् शिक्षकों को पीएच.डी. की अग्रिम वेतन वृद्धि के स्वीकृति हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार योग्य शिक्षकों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने संबंधी अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि पूर्व गठित समिति की अनुशंसाओं का परीक्षण निम्नांकित सदस्यों की पुनरावलोकन समिति से कराकर प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार एवं इस संबंध में निरंतर प्राप्त हो रह अभ्यावेदनों का परीक्षण कर, पूर्व समिति की अनुशंसाओं को समाहित करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

पुनरावलोकन समिति निम्नानुसार होगी :–

01. प्रो0 एल.पी. पटैरिया, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–प्रबंध एवं वाणिज्य
02. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–विधि
03. प्रो0 वी.एस. राठौड़, अधिष्ठाता अध्ययनशाला–कला

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र0-01. इस विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे महाविद्यालयों में स्थापित एवं मान्य शोध केन्द्रों में VRET के माध्यम से प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क में प्रवेशित शोधार्थी श्री खम्हनदास भास्कर के उपस्थिति प्रतिवेदन (राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप) में हस्ताक्षरोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पृष्ठांकित करने विषयक कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को प्रेषित पत्र क्र. 626/विकास/2015 दिनांक 20.02.2015 की पुष्टि पर विचार किया गया।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को प्रेषित पत्र क्र. 626/विकास/2015 दिनांक 20.02.2015 की पुष्टि की जाती है।

अ.अ.वि.क्र0-02. शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रभावशील अकादमिक कैलेण्डर के अनुमोदन पर विचार करना।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रभावशील अकादमिक कैलेण्डर का अवलोकन किया गया।

विचारोपरान्त सत्र 2015-16 हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर का निम्न प्रविष्टियों के समावेश सहित अनुमोदन किया गया :-

1. उपस्थिति की गणना कक्षा के प्रारम्भ से की जाय।
2. छात्र से परीक्षा परीणाम घोषित होने के 07 दिवस के भीतर शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराया जाय। उक्त अवधि में शिक्षण शुल्क जमा न होने पर रूपये 100/- आगामी 07 दिवस हेतु विलम्ब शुल्क लिया जाय, तत्पश्चात् रूपये 500/- विलम्ब शुल्क आगामी 07 दिवस हेतु लिया जाय।

अ.अ.वि.क्र0-03. डॉ0 भास्कर मुखर्जी, विभागाध्यक्ष-लाईब्रेरी एवं सूचना विज्ञान द्वारा प्रस्तुत 02 वर्षीय इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लायब्रेरी इंफरमेशन साईस के अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अ.अ.वि.क्र0-04. प्रवेश सूचना सत्र 2015-16, विश्वविद्यालय प्रवेश प्ररीक्षा-सह-प्रवेश विवरणिका 2015-16 एवं विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा-सह-सूचना विवरणिका (VRET) 2015-16 के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना, सत्र 2015-16, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-सह-प्रवेश विवरणिका 2015-16 एवं विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा-सह-सूचना विवरणिका (VRET) 2015-16 के अवलोकन पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-सह-प्रवेश विवरणिका 2015-16 एवं विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा-सह-सूचना विवरणिका (VRET) 2015-16 में सीटों की संख्या, न्यूनतम अर्हता के निर्धारण संबंधी बैठक में पूर्व में अन्य विषय क्रमांक के अंतर्गत लिये गये निर्णय को समाविष्ट कर जारी किया जाय, किन्तु जारी किये जाने के पूर्व अंतिम रूप से 03 दिवस के भीतर अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं को अवलोकन हेतु भेजा जायेगा।

अ.अ.वि.क0-05. शोधार्थी हरनीत कौर काला, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के चिकित्सा अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.12.2014 पर विचार करना।

उक्त प्रकरण पर समयायभाव के कारण विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी, अतः प्रकरण अध्यक्ष की अनुमति से पुनः प्रसारण के माध्यम से प्रेषित हैं।

शोधार्थी हरनीत कौर काला विभाग में 14.02.2014 से 24.02.2014 तक 10 दिवस की चिकित्सा अवकाश का उपभोग कर ली है। शोधार्थी के द्वारा पुनः 27.07.2014 से 02.09.20104 तक बिना शिष्यवृत्ती के अवकाश उपभोग कर ली है। अब शोधार्थी के पुनः डॉ0 रश्मि शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के सलाह पर पुनः चिकित्सा अवकाश हेतु दिनांक 15.01.2015 से 14.05.2015 तक बिना शिष्यवृत्ती के अवकाश आवेदन किया है। उक्त आवेदन को विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता द्वारा अग्रेषित किया गया है। इस हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में 15.01.2015 से 14.05.2015 तक बिना शिष्यवृत्ती के चिकित्सा अवकाश दिये जाने हेतु सक्षमअ अनुमोदन प्राप्त है।

अतः विचारोपरान्त प्रस्तावित है कि इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में 15.01.2015 से 14.05.2015 तक को मान्य किया जाये ताकि बिना शिष्यवृत्ती के शोधार्थी को चिकित्सा अवकाश दिया जाय।

अ.अ.वि.क0-06. आदर्श अध्यादेश क्रमांक 22 (संशोधित) में संशोधन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष एव उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव (कार्यवाहक)